



पत्रांक : 5762 /पविविनिलि/मेरठ/एसओ/स्था०/सहा०अभि०/2015-16 दिनांक : 02-07-2015

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1584-अ०प्र०-07/ पाकालि/15-16-अ०प्र०-07/14 दिनांक 30.06.2015 के द्वारा 8.33% कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के पद पर प्रोन्नत एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को आवंटित अधोलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्य हित में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सहायक अभियन्ता के पद पर स्तम्भ सं०-05 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि/ ट्रेड /गृह जनपद/श्रेणी/वरिष्ठता क्रमांक	अवर अभि० पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	अभि० संख्या	सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति उपरान्त आवंटित क्षेत्र
1	2	3	4	5
1	श्री मुनेश्वर दयाल/सुमेर चन्द्र/18.12.1985/सहारनपुर/अनु० जाति/8760/विद्युत	विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर	2015171	सहारनपुर क्षेत्र

- उपरोक्त सहायक अभियन्ता पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए-आर/राविप-01-28- एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संशाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे।
- उक्त अवर अभियन्ता द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियन्त्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :-

(क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।

(ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।

(ग) उपर्युक्त सूची में नामित अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो उनके नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।

(घ) चयनित अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 30.06.2015 तक कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ता के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।

क्रमशः.....2/-

(2)

4. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा वे उपर्युक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ०प्र०पाकालि में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे तत्पश्चात एक माह में कार्यभार ग्रहण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।
5. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं०-79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 31.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
6. प्रोन्नत अधिकारी को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाये।
7. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर करपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि (06)/2001 दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 5762 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/तददिनांक 02-07-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/ (कारपोरेशन प्लानिंग), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (तकनीकी)/ (वित्त)/ (वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
4. मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं प्रशा०)/ (पाईम)/ (वाणिज्य)/ (जानपद), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र/सहारनपुर क्षेत्र।
6. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशि० एवं मा०संसा० एवं वि०), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय/नोडल अधिकारी), पविविनिलि, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर।
11. उप सचिव (अ०प्र०-03/04)/ (07)/ (गोपन) अनुभाग, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
12. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
13. प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
14. संबंधित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।
15. कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।

(एसओके० गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर